समाहरणालय गोपालगंज
(जिला योजना कार्यालय)
आदेश

प्रधान सचिव,योजना एवं विकास विभाग,बिहार,पटना के द्वारा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत निर्गत मार्गदर्शिका पत्रांक 3756 दिनांक 10.11.11 के अनुसार माननीय सांसद श्री पूर्णमासी राम से प्राप्त अनुशंसा पत्र पत्रांक 172/MP/LS/PR/2013 दिनांक 06.05.13 के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक 263 दिनांक 16.05.13 के द्वारा प्राक्कलन की मांग की गई थी। प्राप्त प्राक्कलन पर योजना माननीय सांसद श्री पूर्णमासी राम, गोपालगंज के पत्रांक 172/13 दिनांक 01.12.13 के द्वारा सहमति प्राप्त है। तद्नुसार कार्य0 अभि0स्था0 क्षेत्र अभियंत्रण संगठन,कार्य प्रमंडल,गोपालगंज के द्वारा प्राक्कलन तैयार कर उक्त योजना की मो0 2163800.00 की राशि पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है। उनके द्वारा प्रदत्त तकनिकी के आधार पर प्रशासनिक स्वीकृति मो0 2163800.00 की दी जाती है। प्राप्त मार्गदर्शिका के आलोक में कार्य0 अभि0 स्था0 क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल,गोपालगंज को कार्य एजेन्सी नामित किया जाता है। योजना के कार्यान्वियन हेतु प्रथम किस्त के रूप में मो0 1000000.00 रू0 मात्र विमुक्त करने की स्वीकृति दी जाती है।

क्र0	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि/प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति की राशि	प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	प्रथम किस्त में अग्रीम राशि	योजना पूर्ण होने की तिथि एवं समय
1	2	3	4	5	6
1	जिला गोपालगंज के अधिवक्ता संघ के कार्यालय के दूसरी मंजिल का निर्माण कार्य।	2163800.00	2163800.00	1000000.00	3 माह
	कुल योग	2163800.00	2163800.00	1000000.00	

नाजीर, जिला योजना कार्यालय,गोपालगंज को आदेश दिया जाता है कि योजना के कार्यान्यवन हेतु विमुक्त राशि मो0 1000000.00 (दस लाख)रू0 मात्र को चेक माननीय सांसद पूर्णमासी राम के अंश निधि से तैयार कर कार्य एजेन्सी कार्य0 अभियंता, एल0ए0ई0ओ0,गोपालगंज को उचित रीति एवं पहचान पर हस्तगत कराना सुनिश्चित करें।

कार्य एजेन्सी कार्य0 अभियंता एल0ए0ई0ओ0,गोपालगंज को निदेश है कि इस आदेश से विमुक्त राशि 1000000.00 (दस लाख)रू0 मात्र से योजना का कार्यान्वयन विभागीय मार्गदर्शिका के आलोक में निविदा के माध्यम से निम्नांकित शर्तों के अधीन कार्यान्वित कराना सुनिश्चित करेंगें।

1. योजना का कार्य प्रारंभ के पूर्व संतुष्ट हो लेगें कि स्थल विवादग्रस्त नहीं है तथा किसी निजी जमीन योजना स्थल के बीच में नहीं पड़ती है। योजना कार्य के किसी भी वजह से अवरूध होने की स्थिति में सारी जबाबदेही आपकी होगीं।
2. प्रधान सचिव,योजना एवं विकास विभाग,बिहार,पटना के पत्रांक 3757 दिनांक 02.09.13 संलग्न पत्र एवं सचिव पथ निर्माण विभाग,बिहार,पटना के संकल्प सं0 6831 दिनांक 26.08.2013 के कंड़िका नियम 159(क) 1 में निहित निदेश के आलोक में 7.50 (सात लाख पचास हजार) रू0 मात्र कम राशि की योजनाओं के लिए दैनिक समाचार पत्र/इन्टरनेट मे निविदा आमंत्रण सूचना का प्रकाशन आवश्यक नहीं होगा। 7.50 (सात लाख पचास हजार) रू0 से कम लागत की योजनओं के लिए स्थानीय स्तर पर पचार–प्रसार द्वारा निविदा आमंत्रित कर योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा। 7.50 (सात लाख पचास हजार) रू0 के उपर की योजनाओं पर बिहार लोक निर्माण संहिता की अन्य शर्त्त यथावत रहेगी।
3. योजनाओं के प्राक्कलन का पुनरीक्षण किसी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।
4. विमुक्ति रशि का 50 प्रतिशत राशि व्यय होने के पश्चात मापी पुस्तिका की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ विहित प्रपत्र में मांगपपत्र कार्यालय में उपलब्ध करायी जाय, ताकि द्वितीय किस्त की राशि की विमुक्ति हेतु वांछित कार्रवाई की जा सकें।
5. स्वीकृत प्राक्कलन में वर्णित कंडिकावार विशिष्टियों के अनुरूप योजना कार्य सम्पादित किया जाय।

7. योजना स्थल पर योजना से संबंधित पूर्ण विवरणी अंकित करते हुए योजना पट्ट लगाना सुनिश्चित करें।
8. योजना स्थल पर स्वीकृति प्राक्कलन की एक प्रति रखा जाना आवश्यक है।
9. योजना स्थल पर योजना प्रारंभ करने के पूर्व एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफी योजना कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
10. योजना पूर्ण होने पर प्रारंभ काने की तिथि तथा पूर्ण होने की तिथि के साथ पूर्णता/उपयोगिता प्रमाण–पत्र भेजा जाए, ताकि इन नवसृजित योजनाओं का भविष्य में रख–रखाव हेतु संबंधित प्रशासी विभाग को स्थानांतरित किया जा सकें।
11. योजना का कार्य तीन माह में निश्चित रूप से पूर्ण कर लिया जाय।
12. योजना का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व संबंधित अंचलाधिकारी से भूमि संबंधी स्पष्ट प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लें। यदि योजना स्थल में किसी की रैयती भूमि अवस्थित हो, तो भू–दाता के द्वारा उसे महामहिम राज्यपाल के नाम से निबंधित करने के पश्चात ही योजना कार्य प्रारंभ करें। अन्यथा किसी भी प्रकार अनियमिमता की सारी जवाबदेही संबंधित कार्य एजेन्सी की होगी।
13. प्रत्येक माह के 2 रीं तारीख तक निश्चित रूप से मासिक प्रगति प्रतिवेदन विहित प्रपत्र मे जिला योजना कार्यालय,गोपालगंज को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

ह0/–

जिला योजना पदाधिकारी,
गोपालगंज।

ज्ञापांक 67 ... /यो0,दिनांक 6 / 12 /2013

प्रतिलिपिः–कार्यपालक अभियंता,स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन,कार्य प्रमंडल,गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि उक्त मद में प्राप्त आवंटन से योजना का नियमानुसार कार्यान्वयन कराना सुनिश्चित करेगें।

प्रतिलिपिः–कोषागार पदाधिकारी,गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–नाजीर,जिला योजना कार्यालय,गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0मैनेजर,एन0आई0सी0,गोपालगंज को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

जिला योजना पदाधिकारी,
गोपालगंज।

Indrajit/y-06-12-13